(5)

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

''अधिसूचना''

संख्या-1/स्था0-5001/2007 985 पटना, दिनांक 10 जुलाई 2008

भारत के संविधन के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल श्रम संसाधन विभाग के नियोजन पक्ष में कनीय सांख्यिकी सहायकों की नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्तों के विनियमन हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :-

भाग -1

1. **संक्षिप्त नाम, एवं प्रारम्भ -**

(1) यह नियमावली '' बिहार नियोजन कनीय सांख्यिकी सहायक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2008'' कही जा सकेगी ।

(२) यह तुरन्त प्रवृत होगी ।

2. **परिभाषाएँ** - इस नियमावली में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो :-

(क) ''आयोग'' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग । ✓

(ख) "सरकार"से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;

(ग) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है बिहार-राज्यपाल;

(घ) ''संवर्ग'' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार के श्रम संसाधन विभाग के नियोजन पक्ष में कनीय सांख्यिकी सहायकों का संवर्ग,

(ङ). ''नियुक्ति प्राधिकार'' से अभिप्रेत है निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना,

(च) ''संवर्ग नियंत्री प्राधिकार'' से अभिप्रेत है श्रम संसाधन विभाग में निदेशक,नियोजन एवं प्रशिक्षण।

3. **संवर्ग का गठन** :-(1) यह संवर्ग राज्य स्तरीय होगा ।

(2) सरकार कनीय सांख्यिकी सहायक के पदों की संख्या निर्धारित कर सकेगी तथा इसमें अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पद भी सृजित कर सकेगी, अथवा किसी पद को स्थगित या रिक्त रख सकेगी जिसके कारण इस संवर्ग का कोई भी सदस्य क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा ।

भाग-2
भर्त्ती

4. **भर्त्ती का स्त्रोत-**

(क) इस नियमावली के भाग -3 के नियमों के अनुसार 75% रिक्तियाँ आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्त्ती द्वारा, और

(ख) इस नियमावली के भाग-4 के नियमों के अनुसार 25 रिक्तियाँ आयोग द्वारा आयोजित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरी जायेगी ।

5. इस संवर्ग में भर्त्ती हेतु न्युनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नांकित होगी: - गणित अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य अथवा सांख्यिकी विषय से मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण ।

6. **रिक्तियों का निर्धारण** - सरकार प्रतिवर्ष 31 (इकतीस) मार्च की स्थिति के आधार पर इस संवर्ग मे सीधी नियुक्ति एवं सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति हेतु रिक्तियों को अलग-अलग निर्धारित करेगी :

परन्तु किसी वर्ष नें सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति से भरी जानेवाली रिक्तियाँ कुल रिक्तियों के 25% (पच्चीस प्रतिशत) से अधिक नहीं होगी ।

भाग-3
सीधी भर्त्ती

7. (क) **रिक्तियों की अधिसूचना** - सरकार प्रतिवर्ष लिखित प्रतियोगिता परीक्षाफल के आधार पर सीधी भर्त्ती द्वारा भरी जानेवाली रिक्तियों की संख्या, आरक्षण कोटिवार, आयोग को सूचित करेगी । लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का संचालन आयोग करेगा ।

(ख) **शैक्षणिक अर्हता**- शैक्षणिक अर्हता नियम-5 के अनुसार होगी,

(ग) न्यूनतम उम्र सीमा 21 (इक्कीस) एव अधिकतम आयु सीमा वही रहेगी जो सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा समय-समय पर नियत की जायेगी ।

(घ) **परीक्षा का पाठ्यक्रम** - परीक्षा में निम्नलिखित दो ग्रुपों के प्रश्न पूछे जायेंगे- **ग्रुप-''ए''** - सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान के प्रश्न । (**कुल 200 अंको का**)

ग्रुप-''बी'' - गणित/अर्थशास्त्र/वाणिज्य/सांख्यिकी/श्रम एवं समाज कल्याण विषयों में स्नातक स्तरीय प्रश्न । (**कुल 200 अंको का**)

8. **नियुक्ति**- आयोग जिन उम्मीदवारों की अनुशंसा करेगी उनकी नियुक्ति हेतु अंतिम चयन सरकार द्वारा ऐसी जॉच, स्वास्थ्य परीक्षा आदि के बाद किया जायेगा जो लोक सेवा में नियुक्ति हेतु किसी उम्मीदवार के सभी प्रकार से उपयुक्त पाये जाने के लिये आवश्यक समझे जायेंगे किन्तु ऐसी नियुक्ति अनिवार्य रूप से आयोग द्वारा अनुशंसित मेधा कम के अनुसार ही की जायेगी ।

भाग-4

सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति

9. आयोग द्वारा आयोजित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर रिक्तियों को विभाग में लिपिक एवं संगणक के पद पर कार्यरत व्यक्तियों में से सफल उम्मीदवारों द्वारा भरा जायेगा ।

10. **उम्मीदवारों के लिए पात्रता**:- सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों से निम्नलिखित अपेक्षाएँ होंगी :-

(क) (1) वह किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित/अर्थशास्त्र/वाणिज्य/सांख्यिकी विषय से उत्तीर्ण स्नातक हो,

(2) वह जिस बैच की परीक्षा हो उसके लिए कट ऑफ तिथि को विभाग के लिपिक /संगणक के पद पर कार्यरत रहते हुए कम से कम दस वर्षों से लगातार सरकारी सेवा में हों,

(3)वहजिस बैच की परीक्षा हो उसके लिए अपेक्षित कट ऑफ तिथि (उस वर्ष की 01 ली अगस्त) को 45 वर्ष से अधिक उम्र का नहीं हो ।

(ख) इस सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में तीन से अधिक अवसरों में भाग नहीं ले सकेगा ।

11. संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा निम्नांकित पाठ्यक्रम के अनुसार होगी-

(1) परीक्षा में कुल दो पत्र होंगे और प्रत्येक 100 अंको का होगा । प्रत्येक पत्र के लिये परीक्षा तीन घंटे की अवधि की होगी ।

(2) प्रथम पत्र में सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान संबंधी प्रश्न पूछे जायेंगे । प्रत्येक प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं वैकल्पिक प्रकृति का होगा ।

(3) द्वितीय पत्र में निम्नांकित नियमावली / संहिता से प्रश्न पूछे जायेंगे । कोई भी प्रश्न अनिवार्य नहीं होगा-

(क) बिहार सेवा संहिता, (ख) बिहार पेंशन नियमावली, (ग) बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, (घ) सचिवालय अनुदेश या बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली, (ड). बिहार यात्रा भत्ता नियमावली, (च) बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, (छ) बिहार कोषागार संहिता, (ज) बिहार वित्तीय नियमावली, (झ) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005, (ट) राष्ट्रीय नियोजन सेवा नियमावली (ठ) नियोजनालयों (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959

12. सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में कोई मौखिक अन्तर्वीक्षा नहीं होगी । उम्मीदवार को सफल होने के पूर्णांक का न्यूनतम 40% (चालीस प्रतिशत) अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा । अनुसूचित जाति तथा जन-जाति के लिए 05% (पाँच) प्रतिशत तक की छूट दी जा सकेगी,

परन्तु न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने वाले सफल उम्मीदवारों से किसी वर्ष की सम्पूर्ण रिक्तियों को नहीं भरे जा सकने की स्थिति में शेष रिक्तियों को अगले वर्ष की रिक्तियों में जोड़ दिया जायेगा ।

13. **रिक्तियों का संसूचन** - (1) विभाग सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति हेतु रिक्तियों के निर्धारण के पश्चात् प्रत्येक वर्ष 30 (तीस) अप्रील तक आयोग को रिक्तियाँ अधिसूचित करेगा ।

(2) आवेदक अपना आवेदन आयोग द्वारा विहित किये गये प्रपत्र में अपने कार्यालय प्रधान के माध्यम से आयोग के पास भेज देंगे ।

(3) आयोग परीक्षा हेतु अपेक्षित फीस ले सकेगा ।

14. **आयोग द्वारा अनुशंसा** - (1) आयोग सफल उम्मीदवारों की सूची गुणागुण के क्रमानुसार रिक्तियों को भरने के लिए तैयार करेगा । जब दो या दो से अधिक उम्मीदवारों को समान प्राप्तांक हो तो उनकी गुणागुण सूची उम्र के आधार पर निर्धारित की जायेगी । इस प्रकार तैयार की गयी सूची विभाग को आयोग द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी ।

(2) किसी खास वर्ष की सम्पूर्ण रिक्तियों को नहीं भरे जा सकने अथवा योगदान न करने से उपलब्ध रिक्तियाँ अगले वर्ष के लिए अग्रणित कर दी जायेगी ।

भाग - 5

15. **परिवीक्षा अवधि, विभागीय परीक्षा एवं सम्पुष्टि** -

(क) संवर्ग की मौलिक रिक्तियों पर की जानेवाली सभी नियुक्तियाँ चाहे वे सीधी भर्त्ती द्वारा की जाये या सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा, परिवीक्षा पर की जायेगी । परिवीक्षा की अवधि 2 (दो) वर्षों की होगी ।

(ख) परिवीक्षा की अवधि में प्रत्येक कर्मचारी से सरकार द्वारा विहित विभागीय परिक्षाओं या जाँच परीक्षाओं मे उत्तीर्ण होने की अपेक्षा की जायेगी।

(ग) यदि परिवीक्षा की अवधि में किसी कर्मचारी का कार्य या आचरण सभी प्रकार से संतोषजनक नहीं पाया जाये तो उसे पदोन्मुक्त अथवा अपने मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा अथवा यदि सरकार ऐसा विचार करे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया भी जा सकेगा ।

(घ) परिवीक्षा की अवधि पूरी हो जाने पर कर्मचारी को सम्पुष्ट किया जा सकेगा बशर्ते कि उसने विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया हो ।

(ड.) विभागीय परीक्षा का आयोजन केन्द्रीय परीक्षा समिति द्वारा किया जायेगा, जिसके लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण राजस्व पर्षद के परामर्श से किया जायेगा ।

16. **वरीयता** - इस संवर्ग में नियुक्त कर्मचारियों की वरीयता का निर्धारण सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत अनुदेशों के अनुसार किया जायेगा ।

17. **प्रोन्नति** - (1) इस संवर्ग में प्रोन्नति के सोपान निम्न प्रकार होंगे- कनीय सांख्यिकी सहायक (वेतनमान- 5000-8000./-) से कनीय नियोजन पदाधिकारी वेतनमान् रु0 5000-8000/-) में ।

(2) **कनीय नियोजन पदाधिकारी (वेतनमान् रु0 5000-8000/)-में प्रोन्नति-**

(क) इस कोटि के मंजूर बल को कनीय सांख्यिकी सहायक संवर्ग के उन कर्मियों में से वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर भरा जायेगा जो सम्पुष्ट हो एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-समय पर नियत कालावधि पूरा करते हों ।

(ख) विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर पोन्नति पर विचार किया जा सकेगा ।

(5)

18. नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा लागू आरक्षण अधिनियम अनुदेश एवं रोस्टर का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(व्यास जी)
प्रधान सचिव,
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक-1/स्थाप-5001/2007- 985 पटना-15, दिनांक 10 जुलाई 2008
प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।

(व्यास जी)
प्रधान सचिव,
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक-1/स्थाप-5001/2007- 985 पटना-15, दिनांक 10 जुलाई 2008
प्रतिलिपि-सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी कोषागार पदाधिकारी/सचिव,बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित ।

(व्यास जी)
प्रधान सचिव,,
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक-1/स्थाप-5001/2007- 985 पटना-15, दिनांक 10 जुलाई 2008
प्रतिलिपिः - अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित ।

2. उनसे अनुरोध है कि इस अधिसूचना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय तथा इसकी 50 प्रति निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, (नियोजन) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय ।

(व्यास जी)
प्रधान सचिव,
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना ।